



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
Integrated Regional Office
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड
CGO Complex, ShivalikKhand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh - 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
दूरभाष/Tel.: 0177-2658285
0177-2652541
फैक्स/Fax: 0177-2657517



सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
आमसंडेल बिल्डिंग, शिमला।
(ई-मेल : forestsecy-hp@nic.in)

विषय: Diversion of 0.4122 ha of forest land in favour of Shimla Jal Parbandhan Nigam Limited, US Club, Forest Road Shimla-1, Himachal Pradesh, for the construction of Sewerage Treatment Plant 3.10 MLD at Ashwani Khad, within the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt.- Shimla Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Others/149118/2021).

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.) का पोर्टल पर अपलोड किया गया पत्र संख्या 48-5553/2021 (एफ.सी.ए.) दिनांक 01.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण पर नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि०प्र० के पत्र दिनांक 19.09.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार Diversion of 0.4122 ha of forest land in favour of Shimla Jal Parbandhan Nigam Limited, US Club, Forest Road Shimla-1, Himachal Pradesh, for the construction of Sewerage Treatment Plant 3.10 MLD at Ashwani Khad, within the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt.-Shimla, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Others/149118/2021) हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 830 पौधों के पौधारोपण का कार्य Compartment No. U-583 Sohal, Bhajji Forest Range, Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।

I/42358/2023

- (ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रणाली पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।
- (ग) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर , यदि आवश्यक हो , तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण , सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य:

- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998- एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol.-1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.4122 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि , यदि कोई हो , जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो , को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
5. राज्य सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 में दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।
6. **The State Government shall submit the FRA Certificate with all prescribed annexures including all records of consultations and meetings with DLC, SDLC, FRC and Gram Sabha of concerned villages before Stage-II (final) approval.**
7. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
8. **The State Government shall submit Consent to Establish issued by Competent Authority before Stage-II (final) approval.**
9. **The State Government shall submit the NoC issued by the Fisheries Department for this project before Stage-II (final) approval.**
10. **An Undertaking to the effect that component 'Open Area' of 0.0725 ha shall not be used for any other purpose, other than movement between the proposed structural components is required to be submitted by User Agency duly authenticated by the concerned DFO before Stage-II (final) approval.**
11. **Since the proposed project is located in hilly terrain and the proposed area is prone to soil erosion/landslide, therefore as per the recent directions of MoEF&CC vide letter dated 07 June, 2022, Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such plan, a lump sum amount of 0.5 % of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage-I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5 % of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect duly authenticated by concerned DFO may also be submitted.**
12. The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.

I/42358/2023

13. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर हरियाली को बनाया रखा जाए। प्रयोक्ता अभिकरण इसके बाबत शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 02 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
15. आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
16. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएंगे।
17. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 के प्रावधानों के अनुसार , प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
19. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
20. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी , विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
21. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार , प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
22. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
23. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
24. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
25. पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
26. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
27. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।
28. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42 / 2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघन कर्ता पर कार्रवाई होगी।
29. सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

ह0/-

(सत्य प्रकाश नेगी)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली (इ-मेल: adgfc-mef@nic.in).

I/42358/2023

2. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली। (इ-मेल: rohq-mefcc@gov.in).
3. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (इ-मेल: nodalcahp@yahoo.com).
4. आदेश पत्रावली।